हर्ष की सेना नीति का प्रमुख सिद्धांत पड़ोसी राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित करना था क्योंकि सेना ही किसी राज्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं है इसी को ध्यान में रखकर हर्ष ने आसाम के भास्करवर्मा से मित्रता की। शक्तिसंतुलन को ध्यान में रखते हुए वल्लभी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और चीनी सम्राट के साथ दूतमंडल का आदान प्रदान किया।

प्रशासन की सुविधा के लिए केन्द्र को कई प्रांतों में, प्रांतों को जिले में तथा स्थानीय इकाइयों में बांट दिया गया सामान्य की तरह हर्ष का साम्राज्य राष्ट्र, भुक्ति (प्रांत) एवं विषय (जिला) में बँटा गया था जिसे तहसील या पथक में विभाजित था सबसे छोटी इकाई ग्राम था प्रमुख भुक्ति - अहिच्छत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी एवं पुण्ड्रवर्धन थी। प्रांतों के शासक उपरिक, महाराज, गोप्ता, भोगपति, राजस्थानीय, तथा राष्ट्रीय कहलाते थे जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। लेकिन इनके अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति में वे स्वतंत्र थे। अधिकरणों में विषयपति के कार्यालय थे जिन्हें अधिकरण कहा जाता था

ग्राम शासन व्यवस्था सुसंगठित थी हालांकि इसके प्रशा-सन में सरकारी कर्मचारी भाग लेते थे लेकिन गैर सरकारी लोगों का कार्य भी महत्वपूर्ण था हर्षकालीन लेखों में ग्रामों के कर्मचारियों का उल्लेख हुआ है जो इस प्रकार हैं- महत्तर (मुखिया) अग्रहारिक (दान दी गई भूमि के प्रबंधक), ग्रामाक्षपटलिक (ग्राम के सरकारी कागज पत्रों को रखनेवाला) शौल्किक (चुंगी वसूलने वाला) गौल्मिक (वन निरीक्षक) ध्रुवाधिकरण (भूमि कर वसूलनेवाला) पुस्त-पाल (लेखा या हिसाब रखनेवाला) दिविर (लेखक), शासयिता (शासन या राजकीय कागज पत्रों की प्रतिलिपि करने वाला)

हर्ष प्रजा का महान संरक्षक था धार्मिक, शैक्षणिक और परोपकारी संस्थाओं के निर्माण में उसने अपूर्व उत्साह प्रदर्शित किया। हर पाँचवें वर्ष प्रयाग के सम्मेलन में हर्ष द्वारा दान में दी जानेवाली विपुल धनराशि उसकी विशाल हृदयता, दानशीलता तथा प्रजावत्सलता प्रदर्शित करती है। हर्ष अपनी शासन व्यवस्था उदार सिद्धांतों पर आधारित करके कार्यरूप में परिणत किया। लेकिन वह मौर्यों की तरह एक केन्द्रीय राजतंत्रात्मक लोककल्याणकारी राज्य स्थापित करने में असफल रहा पर यह हर्ष की व्यक्तिगत कमजोरी का परि-णाम नहीं केवल हर्षयुगीन शासन व्यवस्था की खामी है। हर्षकालीन शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता सामंतवाद एवं आत्मनिर्भर धार्मिक इकाइयों का प्रादुर्भाव है।

Scanned with CamScanner

उद्रंग, उपरिकर, धान्य, शुल्क आदि सरकारी आय के अन्य स्रोत थे। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू-राजस्व था जो उपज का 1/6 था। भूमि के पर्यवेक्षण एवं माप की भी व्यवस्था थी जिसके अधिकारी प्रमाता कहे जाते थे। सीमाप्रमाता एवं ... की पद्धति से परिचित था। राजकीय आय के कुल चौथाई भाग का ... का था। सरकारी कर्मचारियों, धार्मिक अधिकारियों एवं विद्वानों को पुरस्कृत करने में एक चौथाई दान पुण्य में खर्च किया जाता था।

आंतरिक विद्रोह तथा बाहरी आक्रमणों का सामना करने के लिए तथा शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली सेना ... ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष की सेना चार अंगों से सुसज्जित थी - पैदल, घुड़सवार, रथ एवं हाथी। चीनी यात्री के अनुसार साम्राज्य विस्तार के पश्चात् हर्ष की सेना में हाथियों की संख्या 60000 और अश्वसेना 1 लाख ... स्थायी सेना की कुल संख्या 6 लाख थी। हर्षचरित से सैनिकों के एक बस्ती का उल्लेख मिलता है। सेना स्थायी एवं अस्थायी दो प्रकार की थी।

सैन्य विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी महासंधिविग्रहिक (संधि एवं युद्ध मंत्री) था। सैन्य संचालन करनेवाला अधिकारी महाबलाधिकृत था। अन्य अधिकारियों में बलाधिकृत, वृहदश्वार (अश्व सेना का प्रधान) पाति (पैदल सेना का प्रधान)। युद्ध के समय सेना जहाँ पड़ाव डालती थी उसे 'स्कंधावार' कहते थे वहीं से अभियान संबंधी आदेश जारी किए जाते थे।

जनता की सुरक्षा, जान माल की हिफाजत तथा न्याय एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का भी गठन किया गया था। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दाण्डिक, दण्डपाशिक एवं चौरोद्धरणिक थे। शांति को पक्का रखने के लिए एक विशेष नियुक्त थे जिसे ... कहा जाता था।

हर्षकालीन दंडविधान मौर्यों के समान ही कठोर था। (क्रूर अपराध करनेवालों) को मृत्युदंड, कारावास दण्ड दिया जाता था। अभियुक्तों की निर्दोषता सिद्ध की कसौटी अग्नि, जल, तेल या विष थी। इतनी व्यवस्था होने के बावजूद राजमार्ग के रास्ते पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे। स्वयं ह्वेनसांग को डाकुओं ने एक बार लूटा था और हर्षकालीन बढ़ते विकेन्द्रीकरण की भावना का परिचायक है।

गुप्त रूप से अपराधियों का पता लगाने के लिए गुप्तचर नियुक्त थे जो ...

हर्ष की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद थी जिसमें पुरोहित, प्रधानमंत्री, संधिविग्रहिक, अक्षपटलाधिकृत एवं सेनापति का विशिष्ट स्थान था। हर्ष के विशाल साम्राज्य को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रियों की संख्या काफी रही होगी। परिषद न सिर्फ विदेशनीति का निर्धारण करती थी बल्कि राज्यारोहण के प्रश्न को भी प्रभावित करती थी जैसा कि स्वयं हर्ष के साथ हुआ था।
हर्षचरित से केन्द्रीय प्रशासनिक सहयोगी इस प्रकार थे —

- कुमारामात्य — राजकुमारों की एक सलाहकार समिति जिसके सदस्य राज्य के प्रमुख विषयों पर मंत्रणा करते थे।
- दूतक — यह स्थानीय अधिकारियों को दान के संबंध में सम्राट के निर्देश एवं स्वीकृति पहुँचाता था और स्थानीय अधिकारी उसके अनुसार दान पत्र लिखकर दान गृहीता को समर्पित करता था
- महाप्रमातार — ~~धर्मोपदेशक~~ आध्यात्मिक मंत्रणा देने वाला
- आयुक्तक और अक्षपटल — ये छोटे कर्मचारी थे जो बड़े अधिकारियों के साथ दौरे पर जाते थे
- लेखक एवं करणिक — दानपत्रों को लिखनेवाला।
- पुस्तपाल — भूमि संबंधी लेखा-जोखा रखता था और इसी के लेखों पर जमीन की खरीद बिक्री होती थी
- दौस्साधसाधनिक — यह कठिन कार्य संपन्न करता था और ग्रामों का निरीक्षण करता था
- महाक्षपटलाधिकरणाधिकृत — यह राजकीय कागज पत्रों को रखता था

— दूत —

- दीर्घाध्वग और लेखहारक — ये दोनों डाक विभाग के अधिकारी
- महाप्रतिहार — राजप्रासाद का प्रमुख अधिकारी। यह राजा से लोगों को मिलाने का कार्य करता था
- वैद्य/वैद्यवैद्य ~~वैद्य — राजप्रासाद के चिकित्सक~~।
- ज्योतिषि मौहूर्तिक पुरोहित पौराणिक —

इन समस्त मंत्रियों एवं कर्मचारियों को वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था जबकि मौर्यकाल में समस्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन 'पण' में मिलता था, जबकि हर्षयुग में वेतन भूमि के रूप में मिलता था। ~~[illegible]~~ यह व्यवस्था कुषाणकाल के बाद के युगों का उत्तरोत्तर ह्रास एवं राजनैतिक व्यवस्था के सामंतीकरण की परिचायक है।

राजस्व/कर प्रशासन एक महत्वपूर्ण विभाग था। राज्य की मुख्य आय भूमि कर था [illegible]

Lecture -13
S.N.S.R.K.S. College
Saharsa
A.I.H.

हर्ष उत्तरी भारत के एक विशाल भू-भाग को उत्तरगुप्तकालीन राजनीतिक अव्यवस्था के काल में एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करने में सफल रहा। वह महान विजेता के अलावा एक दक्ष शासक एवं कुशल प्रबंधक भी था। किंतु प्रशासन के क्षेत्र में वह नयी व्यवस्था को कायम नहीं की। वह मात्र अनुकरणकर्ता था। उसकी शासन व्यवस्था की आधारशिला गुप्त प्रशासन थी जिसमें समयानुसार उसने परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किया। उसके शासन के विभिन्न अंग निम्नलिखित थे –

राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा था। उसकी प्रमुख उपाधियाँ परमभट्टारक, ~~एकाधिराज~~, महाराजाधिराज, सार्वभौम, परमेश्वर तथा परमदैवत थी, जो राजा के बढ़ते अधिकार को इंगित न कर प्रशासनिक व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण (सामंतीकरण) को निर्दिष्ट करती है। राजा वैदेशिक नीति का संचालक, राज्याधिकारियों का नियुक्तिकर्ता ~~अवसरों का प्रवर्तक~~, सैन्य संगठन कर्ता और युद्धभूमि में सैन्य संचालक था। वह आम-जन का लेखा-जोखा तथा अभियोगों की सुनवाई करता था। राजा समस्त शासन का केन्द्र बिन्दु था। अशोक के आदर्शों से प्रभावित होकर हर्ष भी लोककल्याण के लिए राज्य के वार्षिक दौरे पर जाया करता था जिसके क्रम में वह प्रजा के दुःखों का निवारण करता था।

हर्ष के अधीन कई अन्य छोटे बड़े शासक थे, जिसका वो प्रधान था। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष के अधीनस्थ शासक राजा, भूपाल, पार्थिव, कुमार, क्षितिपाल, लोकपाल, नृपति आदि उपाधियों से विभूषित होते थे। बहुत से सामंत महासामंत, महाराजा की उपाधि भी धारण करते थे। यह सारी बातें एक सामंती व्यवस्था की ओर इशारा करती हैं। इस व्यवस्था में हर्षवर्द्धन का स्थान सर्वोच्च था और सामंतों को उनकी शक्ति तथा महत्व के अनुसार स्थान प्रदान किया जाता था।

तत्कालीन स्रोतों से पता चलता है कि उसके अधीनस्थ शासकों में कामरूप के भास्करवर्मन, वल्लभी के ध्रुवभट्ट, मगध के पूर्णवर्मन, उत्तरगुप्तकालीन माधवगुप्त आदि प्रमुख थे। इन शासकों के बीच एक प्रकार का समझौता था जिसके अनुसार ये हर्ष को कर प्रदान करते थे और सैनिक सहायता देते एवं जरूरत के मुताबिक राजदरबार में स्वयं उपस्थित होते।

Scanned with CamScanner